

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा (छ0ग0)

E/pawan/2024/Order

Email- bemetara.court@nic.in, Phone no. 07824-222210

आदेश

क्रमांक- 107/दो-11-1/2022

बेमेतरा, दिनांक 03.04.2024

विभागीय चयन समिति, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के प्रतिवेदन दिनांक 11.09.2023 में की गयी अनुशंसा के अनुसार इस न्यायिक जिला स्थापना के लिये सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स 19500-62000 (लेवल-4) में नीचे उल्लेखित अनुसार प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परीक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है -

सहायक ग्रेड-3 (अनारक्षित) (मुक्त)

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता
1	श्री वेणु प्रसाद	श्री भगवानी राम	वार्ड क्र-18, ग्राम व पोस्ट - भेड़सर तहसील- दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नियुक्ति की शर्तें -

- यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
- चयनित उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति तथा मूल प्रति कार्य ग्रहण के समय साथ लेकर आना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के समय चयनित उम्मीदवारों के शैक्षणिक दस्तावेज अथवा अन्य प्रमाण पत्र असत्य, अपूर्ण अथवा गलत पाये जाने पर नियुक्ति प्रदान नहीं की जायेगी।
- चयनित उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के 15 दिवस के भीतर मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा हेतु योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अयोग्य पाये जाने की दशा में तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- चरित्र सत्यापन में यदि सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
- किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
- सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यत्र नौकरी हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी।
- शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
- नवनियुक्त उम्मीदवार जो अन्यत्र सेवारत है, वे उक्त विभाग/संस्था/कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने अन्य प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

9. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय उनके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध-भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैगिंग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज होने के संबंध में स्पष्ट एवं सही जानकारी शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करना होगा।
10. नियुक्त कर्मचारी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखेंगे। आज्ञाकारिता के उत्कृष्ट मानदंड के अनुसार कार्य करेंगे तथा सौंपे गये कार्य को सहर्ष पूरा करेंगे। कार्य संतोषजनक न पाये जाने की दशा में उनकी सेवाये समाप्त की जा सकेगी। न्यायालयीन गरिमा के अनुरूप कार्य के प्रति गोपनीयता बनाये रखेंगे।
11. नियुक्त कर्मचारी को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इस न्यायिक जिले के बाह्य न्यायालयों में स्थानांतरित किया जा सकेगा।
12. नियुक्त कर्मचारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा।

— S d —
(बृजेन्द्र कुमार शास्त्री)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बेमेतरा (छ0ग0)
बेमेतरा, दिनांक 03.04.2024

पृष्ठा. क्र. 543 / दो-11-1 / 2022
प्रतिलिपि -

- (1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक-6049/तीन-18-27/2023/डी.ई बिलासपुर, दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।
- (2) अध्यक्ष चयन समिति, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा की ओर सूचनार्थ।
- (3) प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (4) प्रभारी अधिकारी, ई-कोर्ट अनुभाग, बेमेतरा की ओर कार्यालयीन वेबसाइट अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- (5) लेखापाल/कार्यालय लिपिक, बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) श्री वेणु प्रसाद, पिता- श्री भगवानी राम, पता- वार्ड क्रमांक-18 ग्राम व पोस्ट - भेड़सर तहसील-दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

13.4.2024
(बृजेन्द्र कुमार शास्त्री)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बेमेतरा (छ0ग0)